

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह,  
अनु सचिव,  
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 18 फरवरी 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्रावधानित धनराशि से, संलग्न सूची में अंकित कार्य विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 05 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रूपये 1486.38 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 743.19 लाख (रूपये सात करोड़ तैंतालिस लाख उन्नीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सार्ध स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृति की जा रही है।
- (2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किशत की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोमिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (3) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।
- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की

- व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशारी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।
  - (6) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशारी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।
  - (8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।
  - (9) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।
  - (10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
  - (11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
  - (12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
  - (13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।
  - (14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये नोडल खाते के माध्यम से सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जाय।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास, 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

संख्या-584 P/9-8-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/ मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिये योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तीन दिन के अन्दर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,


( बृजेन्द्र सिंह )

अनुसचिव।

h

संख्या- 584/9-8-2019-07डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र० सं०   | जनपद  | निकाय का नाम | कार्य/मद   | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|------------|-------|--------------|--|---------------------------------|--|---|
| 1          | 2     | 3            | 4  | 5                               | 6  | 7   |
| 1          | शामली | न.पं. ऊन     | वार्ड नम्बर-10 सुभाषनगर में बारातघर का निर्माण कार्य।              | 39.35                           |  |   |
|            |       |              | वार्ड नम्बर-1 रविदासपुर में बारात घर का निर्माण कार्य।             | 40.86                           |  |   |
|            |       |              | वार्ड नम्बर-9 आर्यपुरी में बारातघर का निर्माण कार्य।               | 77.12                           |  |   |
|            |       |              | वार्ड नम्बर-5 नौतना में पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।               | 17.06                           |  |   |
|            |       |              | छाकुरद्वारा में पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।                    | 12.10                           |  |   |
|            |       |              | छाकुरद्वारा में काशीराम आवास के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य। | 41.34                           |  |   |
|            |       |              | शिवपुरी में भगत सिंह चौक का सौन्दर्यीकरण कार्य।                    | 12.39                           |  |   |
|            |       |              | सीसी इण्टरलाकिंग पेवर रोड निर्माण कार्य।                           | 82.43                           |  |   |
|            |       |              | हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।                                    | 14.71                           |  |   |
| <b>योग</b> |       |              |  | <b>307.36</b>                   | <b>300.00</b>  | <b>150.00</b>                               |

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।  
 २

संख्या- 584 / 9-8-2019-07डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र० सं०   | जनपद    | निकाय का नाम | कार्य/मद   | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|------------|---------|--------------|--|---------------------------------|--|---|
| 1          | 2       | 3            | 4  | 5                               | 6  | 7   |
| 2          | गाजीपुर | न.पं. सादात  | वार्ड नम्बर-3 दयाशंकर के मकान से रामवृक्ष के झोंपडी तक शून्य से रंगीन इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।    | 39.64                           |  |   |
|            |         |              | वार्ड नम्बर-1 घुरहू गुप्ता के मकान से शिव मन्दिर तक रंगीन इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।         | 39.78                           |  |   |
|            |         |              | वार्ड नम्बर-1 विजय शंकर लेखपाल के मकान से रामधारी के पम्पिंगसेट तक रंगीन इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 39.46                           |  |   |
|            |         |              | वार्ड नम्बर-1 रामधारी यादव के पम्पिंग सेट से नहर तक रंगीन इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।                | 39.67                           |  |   |
|            |         |              | वार्ड नम्बर-2 धाना पोखरा के पूर्वी तरफ सीढी निर्माण कार्य।   | 39.89                           |  |   |
|            |         |              | वार्ड नम्बर-2 धाना पोखरा के पश्चिम तरफ सीढी निर्माण कार्य।   | 39.89                           |  |   |
|            |         |              | सीताराम बरनवाल के मकान से राजेश चौबे के मकान तक प्रकाश व्यवस्था कार्य।                                   | 33.00                           |  |   |
|            |         |              | नूर मोहम्मद के मकान से मरछू राजभर के घर होते हुए ताल तक प्रकाश व्यवस्था कार्य।                           | 33.00                           |  |   |
| <b>योग</b> |         |              |  | <b>304.33</b>                   | <b>300.00</b>  | <b>150.00</b>                               |




(बृजेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

2

संख्या- 584/9-8-2019-07डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र० सं०   | जनपद  | निकाय का नाम  | कार्य/मद   | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|------------|-------|---------------|--|---------------------------------|--|---|
| 1          | 2     | 3             | 4  | 5                               | 6  | 7   |
| 3          | भदोही | न.प. ज्ञानपुर | नगर पंचायत ज्ञानपुर में कम्युनिटी. सेंटर का निर्माण कार्य।                     | 62.23                           |  |   |
|            |       |               | वार्ड नम्बर-4 गांधी पार्क के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।                  | 05.44                           |  |   |
|            |       |               | पीडब्लूडी एवं जिला जेल के पीछे तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।          | 17.12                           |  |   |
|            |       |               | वार्ड नम्बर-7 व 8 से नागेश्वर नाथ मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।         | 16.59                           |  |   |
|            |       |               | रामघानी के घर से नगर पंचायत तक सीसी रोड निर्माण कार्य।                         | 33.31                           |  |   |
|            |       |               | दुर्गागंज तिराहा, कोतवाली से पुलिया तक अन्डर ग्राउण्ड सीवर लाइन निर्माण कार्य। | 69.88                           |  |   |
|            |       |               | पुलिस अधीक्षक आवास, शीतल पाल तिराहा से न्यू तहसील रोड तक पाथ-वे निर्माण कार्य। | 44.89                           |  |   |
|            |       |               | दुर्गागंज तिराहा में पाथ-वे का निर्माण कार्य।                                  | 22.76                           |  |   |
|            |       |               | बघही तिराहा में पाथ-वे का निर्माण कार्य।                                       | 14.16                           |  |   |
| <b>योग</b> |       |               |  | <b>286.38</b>                   | <b>286.38</b>  | <b>143.19</b>                               |

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।

संख्या- 584 / 9-8-2019-07डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।


| क्र० सं० | जनपद   | निकाय का नाम   | कार्य/मद   | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|----------|--------|----------------|--|---------------------------------|--|---|
| 1        | 2      | 3              | 4  | 5                               | 6  | 7   |
| 4        | कासगंज | न.प. सिद्धपुरा | नगर पंचायत में शमशान घाट एवं पार्क के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 300.00                          |  |   |
| योग      |        |                |  | 300.00                          | 300.00   | 150.00                                      |

(बृजेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।

५

संख्या- 584 / 9-8-2019-07डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

| क्र० सं० | जनपद | निकाय का नाम | कार्य/मद   | प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में) | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में) | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में) |
|----------|------|--------------|--|---------------------------------|--|---|
| 1        | 2    | 3            | 4  | 5                               | 6  | 7   |
| 5        | लखनऊ | न.पं. काकोरी | कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण कार्य।                                       | 199.46                          |  |   |
|          |      |              | इमामबाग में रमेश के घर से दिलीप के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।      | 06.13                           |  |   |
|          |      |              | नसीम के घर, जहूर के घर से दिलशाद के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।     | 08.53                           |  |   |
|          |      |              | मेराज के घर, मुख्तार के घर से दिलशाद के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य। | 08.53                           |  |   |
|          |      |              | 120 मीटर नाला निर्माण कार्य।   | 09.34                           |  |   |
|          |      |              | 50 मीटर नाला निर्माण कार्य।  | 03.89                           |  |   |
|          |      |              | कव्वर्ट का स्थापना कार्य 04 नग।  | 01.12                           |  |   |
|          |      |              | पानी सप्लाई हेतु टयूववेल की स्थापना कार्य।                                   | 10.46                           |  |   |
|          |      |              | विद्युत कार्य हेतु   | 53.81                           |  |   |
|          |      |              | <b>योग</b>   | <b>301.27</b>                   | <b>300.00</b>  | <b>150.00</b>                               |
|          |      |              | <b>कुल योग-</b>  | <b>1499.34</b>                  | <b>1486.38</b>   | <b>743.19</b>                               |

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।

६